

की राशि देने के लिए बैंक को बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए उद्योगों के प्रभावी कार्यकरण के लिए बैंक के पूर्ण सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। यहां तक कि कार्यकारी पूंजी भी समय पर मंजूर नहीं की जाती और उद्योगपतियों, उद्यमियों के लिए अपने उद्योग शुरू करना मुश्किल हो जाता है। औद्योगिक पुनर्संरचना में गम्भीर जनहित भी शामिल है। इसमें रोजगार तथा सार्वजनिक धन की समस्या भी शामिल है। सभी संबंधित पार्टियों अर्थात् श्रमिकों, प्रबन्धन वर्ग और सरकार के बीच सद्भावना का माहौल बनाया जाना चाहिए। उद्योगों के प्रभावी कार्यकरण के लिए औद्योगिक संबद्धता बनायी जानी चाहिए ताकि उन्हें रुग्ण होने से बचाया जा सके। बोर्ड को प्रभावी रूप से कार्य करना चाहिए।

यह विदित है कि बोर्ड में रिक्त पद हैं। इसलिए इसमें पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। बोर्ड को धन आर्बिटित किया जाना चाहिए।

मुझे आशा तथा विश्वास है कि इस विषेयक से रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार होगा तथा इससे औद्योगिक दौड़ में स्वस्थ माहौल उत्पन्न होगा। धन्यवाद।

5.50 म०प०

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में लघु निर्माण कार्यक्रम योजना

प्रधानमंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, प्रायः ऐसा होता है कि संसद सदस्यों को उनको निर्वाचकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में लघु पूंजी के कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। तथापि वे यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि उनके द्वारा सुझाया गया कार्य शुरू किया जाये। इसलिए विभिन्न राजनैतिक दलों के, वास्तव में निर्दलीय सहित सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्यों द्वारा यह मांग की गई है (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति ष्टर्जी (दमदम) : इसके लिए हमने नहीं कहा है। हमने आपसे कभी अनुरोध नहीं किया है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय मुझे अफसोस है। मैं नहीं जानता था कि इसमें भी अपवाद है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि सभी दलों के सदस्यों ने मुझे भी अनुरोध किया था।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : जैसा कि मैंने यह कहा है कि विभिन्न राजनैतिक दलों, वास्तव में निर्दलीय सहित सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्यों द्वारा यह मांग की गई है कि उन्हें जिला कलेक्टर को यह सिफारिश करने की अनुमति प्रदान की जाये कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किये

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

जायें। भारत सरकार ने उपरोक्त सुझावों पर विचार किया और "संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" नामक नई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय किया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को जिला कलेक्टर को अपने निर्वाचित क्षेत्र में प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक किये जाने वाले कार्य के बारे में सुझाव देने की स्वतन्त्रता होगी। राज्य सभा के सदस्य राज्य में एक जिले को नामजद करेंगे जिससे वह चुने गये हैं अथवा जहां कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिला कलेक्टर को सीधे निधियां प्रदान की जायेंगी जो योजना का संचालन करेगा। संसद सदस्यों से परामर्श करने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्य किये जायेंगे। निधियों का उपयोग ठेके देना, धन बांटना आदि कार्य स्वभावतः उस प्रक्रिया के अनुसार कलेक्टर द्वारा किये जायेंगे जो वह पहले ही अपना रहा है। ऐसे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी जिससे स्थायी सम्पदा का सृजन होगा। किसी भी परिस्थिति में इस योजना के अन्तर्गत कोई भी राजस्व व्यय नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य पर 10 लाख रुपये से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

यह योजना छोटी तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक कार्य के लिए है। संसद सदस्यों के अनुरोध पर किये जाने वाले कार्य, निम्नलिखित श्रेणियों में से एक श्रेणी के अन्तर्गत आयेगा और प्रत्येक परियोजना के लिए 10 लाख रुपये की सीमा होगी। कार्य की सूची निम्नलिखित है। यह केवल व्याख्यात्मक है उपयुक्त मामलों में अभ्य चीजों को भी जोड़ा जा सकता है।

(क) स्कूल भवनों का निर्माण

(ख) ट्यूबवेल लगाकर अथवा कोई अन्य कार्य से जिससे गांव, कस्बों और शहरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होती हो,

(ग) गांव की सड़क अथवा पहुंच मार्ग का निर्माण।

(घ) पहुंच मार्गों पर पुलों का निर्माण।

(ङ) वृद्ध अथवा विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण।

(च) ग्राम पंचायत अथवा सांस्कृतिक तथा खेलकूद कार्यो अथवा अस्पताल के लिए भवनों का निर्माण।

(छ) खाली समय में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी तथा सामुदायिक भूमि में वन लगाना तथा सामाजिक वानिकी

(ज) गांव में तालाब खोदना तथा उनसे गाद निकालना

(झ) पानी की क्षति को रोकने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई नहरों का निर्माण ।

(ञ) आम गोबर गैस संयंत्रों का निर्माण अथवा उससे संबद्ध कुछ कार्य करना ।

(ट) लघु सिंचाई बांधो अथवा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं अथवा वाटर टेबल रिचार्जिंग योजनाएं प्रारम्भ करना ।

(ठ) सरकारी वाचनालयों अथवा अध्ययन कक्ष ।

[अनुवाद]

(ड) शिशु गृह

(ढ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा शव परीक्षा कमरों का निर्माण

(ण) शवदाह गृह

(त) सार्वजनिक शौचालयों तथा स्नानघरों का निर्माण

(थ) जल निकास तथा गटर

(द) फुटपाथ और पथ

(ध) शहरों, नगरों तथा गांवों की झुग्गी झोपड़ियों में बिजली, जल, मार्ग, सार्वजनिक शौचालय आदि का प्रावधान

(न) शहरों, नगरों तथा गांवों में पुरानी इमारतों के बीच गलियों का निर्माण

(प) जनजातीय क्षेत्रों में आश्रमशालाएं

(फ) सरकारी परिवहन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बस शेड/स्टाप

(ब) शासी-निकायों के लिए चलते फिरते शौचालय, मेलों, सार्वजनिक सभाओं, खेलकूद परिसरों आदि में उपयोगी

(भ) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य मद जैसा कि मैंने कहा यह केवल एक निदर्शी सूची है । कई अन्य सुविधाएं हैं जिनके बारे में विचार किया जा सकता है ।

योजना के लिए विस्तृत मार्ग निदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यथासमय जारी किये जाएंगे ।

यद्यपि योजना चालू वर्ष में आरंभ होगी फिर भी प्रारंभिक कार्य के लिए कुछ समय दिये जाने की आवश्यकता होगी, अतः फरवरी 1994 के आरंभ से पूर्व इस योजना को क्रियान्वित करना

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

संभव नहीं होगा। अतः चालू वर्ष में प्रत्येक संसद सदस्य के लिए 5 लाख रुपये के नाममात्र प्रावधान का प्रस्ताव किया जा रहा है परंतु वर्ष 1994-95 से पूरा प्रावधान किया जाएगा।

श्री सोमनाथ ष्टर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं सीधे-सीधे कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि हमारे दल की ओर से किसने आपसे संपर्क किया। सिद्धान्त रूप से हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। (छव्वधान)

कम से कम पश्चिम बंगाल में हमारी जिला योजना समितियाँ हैं जिसमें संसद सदस्यों, विधायकों तथा पंचायतों ने प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें योजना तथा प्राथमिकताओं का निर्णय किया जाता है। इसका केवल यह तात्पर्य होगा कि जिला योजना निकाय द्वारा निर्णित प्राथमिकता में बाधा डालना। इसलिए हम सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूँ क्योंकि आम तौर पर हम लोगों की यह मांग रही है, हम लोगों ने खुद इस सदन से मांग की थी और इस घोषणा का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसी स्कीम लागू की जायेगी और हम लोग इस मामले में सक्षम हों कि अपने क्षेत्रों में छोटी-मोटी विकास की जरूरतों को पूरा करा सकें, विकास के काम करा पाये। इसके लिये मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी की घोषणा का पुनः स्वागत करता हूँ।

श्री राम कृपलन यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस योजना की घोषणा करने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सभी लोगों की काफी समय से मांग थी और आपने भी अपना रोल इसमें अदा किया। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी जिस भावना को सदन में रखा था, उसे आज पूरा कर दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ आपके जरिये एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिये यहां से जो पैसा जा रहा है, वह ग्रामीण इलाकों में ही खर्च किया जायेगा, शहरी इलाकों में नहीं, इस ओर भी ध्यान रखा जाये।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करते हुए, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का यहां धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री राम नाईक ने इस विषय को आरम्भ में ही उठाया था। मैं समझता हूँ कि यह हम सभी माननीय सदस्यों के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हमें ऐसा अवसर मिला है। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है परन्तु अभी तक यह स्थिति थी कि हम सांसद अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे काम कराने में भी अपने आप को निरीह महसूस करते थे। इसके साथ मेरा आग्रह है कि इस वर्ष के लिये जो 6 लाख रुपये की राशि रखी गयी है, उसे कुछ और बढ़ाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को और आपको धन्यवाद देता हूँ।